भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4833

मंगलवार, 01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

सकारात्मक कार्रवाई के लिए समन्वय समिति

4833. डॉ. आलोक कुमार सुमनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006 में समन्वय समिति की स्थापना के बाद से अब तक उसके द्वारा निजी क्षेत्र में सकारात्मक कार्रवाई के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सकारात्मक कार्रवाई पर विचार करने के लिए शीर्ष उद्योग संघों को निर्देश दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) शीर्ष उद्योग संघ द्वारा आउटसोर्सिंग/संविदा रोजगार में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को प्रदान की गई नौकरियों सहित इसके लिए स्थापित निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह सच है कि सकारात्मक कार्रवाई की निगरानी के अभाव में आउटसोर्स/संविदा नौकरियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को बहुत कम रोजगार मिला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): सरकार ने वर्ष 2006 में निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी) के लिए सकारात्मक कार्रवाई हेतु समन्वय समिति गठित की थी। अब तक, इस समन्वय समिति की 09 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। समन्वय समिति की पहली बैठक में यह कहा गया कि सकारात्मक कार्रवाई से संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका उद्योग जगत द्वारा स्वैच्छिक कार्रवाई है। तदनुसार, शीर्ष उद्योग संघों, नामत: भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंड्रस्ट्री (फिक्की), एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) और दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डीआईसीसीआई) ने अपनी सदस्य कंपनियों के लिए स्वैच्छिक आचार संहिता (वीसीसी) तैयार की है, जो समावेशन प्राप्त करने के लिए शिक्षा, रोजगार योग्यता और उद्यमिता तथा रोजगार पर केंद्रित है।

उद्योग संघों के सदस्यों द्वारा किए गए उपायों में छात्रवृत्ति, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, कोचिंग आदि शामिल हैं। शीर्ष उद्योग संघों नामत: सीआईआई, फिक्की, एसोचैम और डीआईसीसीआई द्वारा एससी/एसटी के लिए सकारात्मक कार्रवाई पर प्राप्त नवीनतम अद्यतन जानकारी **अनुबंध** में दी गई है।

*****

अनुबंध

दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4833 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

उद्योग संघों अर्थात सीआईआई, फिक्की, एसोचैम और डीआईसीसीआई द्वारा निजी क्षेत्र में एससी/एसटी के लिए सकारात्मक कार्रवाई संबंधी सूचना

		सीआईआई दिनांक 30.09.2024 तक	**फिक्की दिनांक 31.12.2024 तक**	**एसोचैम दिनांक 31.12.2020 तक**	**डीआईसीसीआई दिनांक 31.03.2018 तक**
एससी/एसटी को निम्नलिखित के संदर्भ में अब तक दिए गए कुल लाभ					
1.	छात्रवृत्ति	1,99,536	2,13,292	3,620	-
2.	लड़कों और लड़कियों को निशुल्क शिक्षा	2,01,972	86,74,731	-	-
3.	व्यावसायिक शिक्षा और प्लेसमेंट (i+ii):	7,17,804	23,50,780	39,301	1,725
	(i) प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	4,40,677	21,22,680	38,531	1,180
	(ii) व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के बाद नियुक्त व्यक्तियों की संख्या	2,77,127	2,28,100	770	545
4.	उद्यमिता विकास कार्यक्रम	8,341	3,40,410	399	364
5.	कोचिंग	29,279	22,174	-	-
6.	एससी/एसटी का वास्तविक रोजगार	2,77,127	25,341	-	8,880

* स्रोत: उद्योग संघों द्वारा प्रस्तुत तिमाही रिपोर्टें।

*****